बहस सुनी गई। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद का कोई विरोध नही किया गया है तथा वादीगण के कब्जा काश्त की आराजी का खाता अलग अलग कायम करने का निवेदन किया है तथा प्रतिवादीगण द्वारा जबाबदावो के साथ अपने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये है। वादीगण के वाद का कोई विरोध नही है।उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि चकनं0 5 टीएल डबल्यू के प0न0 226/292 मु0 91 किलानं0 3/.253 है0 आराजी का वादीया सं0 3 सरोज को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्त अनुसार खाता अलग से कायम कर रकम राज अलग से कायम किये जाने चकनं0 5 टीएल डबल्यू के खाता सं0 165 में से वादीसं0 1 व 2 जितेन्द्र व सुमित तथा प्रतिवादीसं0 7 ज्योति प्रतिवादी सं0 8 प्रियकां का नाम कलमजन किये जाने तथा शेष खाता बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.5.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner